2025:CGHC:16996

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 669/2022

प्रेमप्रसाद गुप्ता, पिता जुगल किशोर गुप्ता, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी– ग्राम किड्डा, थाना– छाल, जिलाः रायगढ़, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना–छाल, जिलाः रायगढ़, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय अग्रवाल और सुश्री विधि मथानी, अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री राहुल तामस्कर,शासकीय अधिवक्ता और श्री पंकज सिंह, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

11/04/2025

1. अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 व 506 भाग–I तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, '1989 का अधिनियम') की धारा 3(2)(v क) के अधीन अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 67/2019 में दिनांक 2–4–2022 को पारित निर्णय के अधीन सिद्धदोष व दण्डित किया गया है तथा एक वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 1,000/– का अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर दस दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास, तीन माह का कठोर कारावास ;एक वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 1,000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर दस दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा,से दण्डित किया गया है साथ ही निर्देशित किया गया है कि समस्त दण्डादेश साथ– साथ चलायी जाएगी।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 12–9–2019 को रात्रि 9 बजे अपीलार्थी ने पीड़ित/शिकायतकर्ता छबिलाल (अ.सा.–1) को गंदी भाषा में गाली दी तथा उसकी पत्नी नीराबाई राठिया (अ.सा.–4) को हत्या करने की धमकी दी तथा शिकायतकर्ता छबिलाल (अ.सा.–1) को घोर

उपहति पहुंचाई, जबकि वह पूरी तरह से जानता था कि वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, तथा इस प्रकार अपराध कारित किया। डॉ. सुरेन्द्र कुमार पैकरा (अ.सा.–6) द्वारा छबिलाल (अ.सा.–1) का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा उसे एक्स–रे कराने की सलाह दी गई। उसका एक्स–रे कराया गया और एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार, उसकी बायीं कुहनी की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से में फ्रैक्चर पाया गया, परंतु शिकायतकर्ता का एक्स–रे तैयार करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का परीक्षण नही कराया गया और डॉ. सुरेन्द्र कुमार पैकरा (अ.सा.–6) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 व 506 भाग–I और 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v क) के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया, जिसमें माना गया कि बायीं कुहनी की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से में फ्रैक्चर पाया गया था।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल का तर्क है कि रेडियोलॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन, जिसने पीड़ित/शिकायतकर्ता छविलाल (अ.सा.–1) का एक्स–रे किया था, का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा केवल एक्स–रे प्लेट के आधार पर, जिस पर पीड़ित छविलाल (अ.सा.–1) का नाम व पता नहीं है, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। उनका आगे तर्क है कि रेडियोलॉजिस्ट/एक्स–रे करने वाले व्यक्ति का परीक्षण कराया जाना चाहिए था, ताकि यह माना जा सके कि पीड़ित/शिकायतकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत फ्रैक्चर हुआ है, ताकि अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया जा सके तथा इस प्रकार, अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 व 506 भाग–I तथा 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v क) के अधीन दोषमुक्ति का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री राहुल तामस्कर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, ने अपील का विरोध किया और विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया एवं तर्क किया कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है और अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 व 506 भाग–I और 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v क) के अधीन अपराधों हेतु उचित रुप से सिद्धदोष किया गया है, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अभिलेख का भी सुक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

6. प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध कारित करने हेतु उचित रुप से सिद्धदोष किया गया है, अर्थात् स्वेच्छा से घोर उपहति पहुंचाने का दण्ड।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में घोर उपहति को परिभाषित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के सातवें खंड में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है: –

> **"320. घोर उपहति–** उपहति की केवल नीचे किस्में "घोर"कहलाती है ।–
> पहला से छठा – xxx xxx xxx
> सातवां– अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ।
> आठवां – xxx xxx xxx"

7. विचारण न्यायालय ने पाया कि पीड़ित/शिकायतकर्ता छविलाल (अ.सा.–1) की बायीं कलाई में फ्रैक्चर है। उसका एक्स–रे कराया गया और एक्स–रे रिपोर्ट प्र.पी.–10 के रूप में प्रदर्शित की गई है। एक्स–रे के साथ–साथ प्र.पी.–10 रिपोर्ट है, जिसमें बायीं कुहनी की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से में फ्रैक्चर का खुलासा हुआ है। डॉ. सुरेन्द्र कुमार पैकरा (अ.सा.–6) के अनुसार, उन्होंने एक्स–रे प्लेट देखने के बाद प्र.पी.–10 रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि रेडियोलॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन, जिन्होंने पीड़ित का एक्स–रे किया है, ने उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में एक्स–रे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन का परीक्षण नहीं कराया गया है, जबकि यह साबित करने के लिए कि पीड़ित को फ्रैक्चर हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट या एक्स–रे करने वाले व्यक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए था और पीड़ित के फ्रैक्चर को प्रकट करने वाले एक्स–रे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन का परीक्षण शिकायतकर्ता (अ.सा.–1) को फ्रैक्चर होने के तथ्य को साबित करने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अभियोजन का यह प्रकरण नहीं है कि एक्स–रे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन या तो मर चुके हैं/उपलब्ध नहीं हैं/उनका पता नहीं चल पा रहा है, विशेष रूप से प्र.पी.–10 के साथ लगी एक्स–रे प्लेट पर पीड़ित का नाम और पता नहीं लिखा है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि एक्स–रे प्लेट पीड़ित छबीलाल (अ.सा.–1) की है। अतः, प्र.पी.–10 रिपोर्ट साक्ष्य में अग्राह्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यदि कोई संदर्भ हो तो **संतू विरुद्ध राज्य**[1] नामक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक्स–रे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट/तकनीशियन का परीक्षण आवश्यक है, जैसा कि निम्नानुसार अवलोकन से ज्ञात होता है: –

> "शिकायतकर्ता को हुई उपहति की एक्स–रे रिपोर्ट 'क' द्वारा तैयार की गई थी। अभियोजन ने 'क' को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। यह सुझाव नहीं दिया गया कि 'क' मर चुका था या उपलब्ध नहीं था। 'क' द्वारा तैयार एक्स–रे रिपोर्ट के

1 1977 Crl.L.J. (Notes) 2

आधार पर 'ख' द्वारा एक पूरक रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह माना गया कि 'क' की रिपोर्ट साक्ष्य में अग्राह्य थी। इसी प्रकार 'क' की एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई उसकी पूरक रिपोर्ट पर आधारित 'ख' का साक्ष्य भी साक्ष्य में अग्राह्य था।"

9. घोर उपहति के लिए, उपहति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में उल्लिखित आठ खंडों में से किसी एक का उत्तर देना होगा और इस प्रकरण में, यह खंड सातवां होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पर आरोप है कि उसे बाएं कुहनी की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से का फ्रैक्चर हुआ है जैसा कि एक्स–रे रिपोर्ट प्र.पी.–10 में दर्शाया गया है, जिसे रेडियोलॉजिस्ट/लैब तकनीशियन का परीक्षण कराकर साबित नहीं किया गया है जिसने पीड़ित छबीलाल (अ.सा.–1) का एक्स–रे किया है, जिसके अभाव में एक्स–रे के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.–10 जिसमें दर्शाया गया है कि यह बाएं कुहनी की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से का फ्रैक्चर है, साक्ष्य में अग्राह्य माना जाता है। इस प्रकार, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषमुक्ति का पात्र है और तदनुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, इसके बजाय उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन सिद्धदोष किया जाता है और उसके द्वारा पहले से ही भुगती गई अवधि तक दण्डित किया जाता है, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध 1989 के अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग–I के अधीन भी इस आधार पर सिद्धदोष किया गया है कि अपीलार्थी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 के अर्थ में पीड़ित को आपराधिक रूप से डराया है। पीड़ित/शिकायतकर्ता छबीलाल (अ.सा.–1), उसकी पत्नी नीराबाई (अ.सा.–4) और गौरीलाल राठिया (अ.सा.–7) के बयानों के सूक्ष्मतापूर्वक पठन करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने इनमें से किसी भी साक्षी को दाण्डिक रूप से धमकाया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसने छबीलाल (अ.सा.–1), नीराबाई (अ.सा.–4) और गौरीलाल राठिया (अ.सा.–7) को उनके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को किसी तरह की चोट पहुंचाने की धमकी दी है और यह धमकी उन्हें डराने के आशय से दी गई थी। इस प्रकार, अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग–I के अधीन भी दोषमुक्ति का पात्र है।

11. इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग–I के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि व दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि को भी अपास्त किया जाता है, यद्यपि, इसके बजाय उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन सिद्धदोष किया जाता है एवं उसे पहले से ही भुगती गई

अवधि तक दण्डित किया जाता है। इसी प्रकार, अपीलार्थी की 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v क) के अधीन दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है, यद्यपि, उसे पहले से ही भुगती गई अवधि तक दण्डित किया जाता है। अपीलार्थी पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड यथावत रहेगा। वह पहले से ही जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क में निहित प्रावधान के दृष्टिगत उसके जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

12. यह दाण्डिक अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**